नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Rajdhani - 11 Jul 2025 - 11raj4
epaper.navabharat.news

सड़कें खराब, कोर्ट न देखे तो क्या सरकार काम ही नहीं कराएगी?

तीन प्रोजेक्ट में शपथपत्र पर शासन देगा जवाब, अगली सुनवाई 4 अगस्त को

नवभारत ब्यूरो। बिलासपुर।

राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रदेश की सड़कों की बदहाल स्थिति पर गुरूवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने रायपुर के धनेली, बिलासपुर में पेंड्रीडीह से नेहरु चौक तक सड़क आदि कार्यों की प्रगति की जानकारी मांगी। कोर्ट ने कहा कि शहर भर में सड़के खराब हैं, अगर कोर्ट न देखे तो क्या सरकार काम ही नहीं कराएगी, इस स्थिति को सुधारें।

शासन ने सभी कार्यों पर शपथपत्र के साथ जवाब पेश करना स्वीकार किया है। अगली सुनवाई 4 अगस्त को निर्धारित की गई है। बदहाल सड़कों पर स्वतः संज्ञान और जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि बिलासपुर में सड़कें बहुत ही खराब हैं। इन्हें दुरुस्त करने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह सब कोर्ट का काम नहीं है। इस स्थिति को सुधारने की जरूरत है।

डीबी ने मांगा शपथपत्र

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि पेंडीडीह से नेहरू चौक तक रोड निर्माण अप्रैल में स्वीकृत हो चुका था मगर अब तक प्रक्रिया नहीं हो पाई है। सेंदरी बाईपास में 5 फुट ओवरब्रिज बनाए जाने हैं, इस पर डीपीआर नहीं आ पा रहा है। रायपुर में धनेली एयरपोर्ट रोड का काम अधूरा है। इन सब बातों पर डीबी ने शपथपत्र मांगा है। शहर की बदहाल सड़कों और मवेशी हादसों पर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए।